न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 88/18
निर्णय दिनांक: 22.06.2018

1. पेमाराम पुत्र सुवालाल
2. सुवालाल पुत्र सुवालाल
3. सोहनलाल पुत्र सुवालाल
4. बंशीलाल पुत्र सुवालाल
   समस्त जाति जाट नि0 बीड़ की ढाणी शार्दुलपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
5. गलकूदेवी पत्नि सुवा जाति जाट नि0 बीड़ की ढाणी शार्दुलपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0
6. राधादेवी पुत्री सुवालाल पत्नि श्रवणलाल जाति जाट नि0 हरिपुरा ग्राम पंचायत शार्दुलपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर
7. मोहरीदेवी पुत्री सुवालाल पत्नि औंकारमल नि0 हरिपुरा ग्राम पंचायत शार्दुलपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर
8. गोठीदेवी पुत्री सुवालाल पत्नि हनुमान
9. नान्चीदेवी पुत्री सुवालाल पत्नि बन्नाराम
   समस्त जाति जाट नि0 जोबनेर के पास बोदल्यों की ढाणी ग्राम पंचायत डेहरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील फुलेरा मु0 सांभरलेक

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती

निर्णय

संक्षिप्त में वाकयात इस प्रकार है कि वादीगण सं0 1 लगा0 4 व वादी सं0 6 लगा0 9 के पिता स्व0 सुवा पुत्र लालू थे तथा वादी सं0 5 स्व0 सुवा पुत्र लालू की धर्मपत्नि है। स्व0 सुवा पुत्र लालू के कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी ख0नं0 108 रकबा 3 बीघा 16 वाकै ग्राम कन्देवली तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जो कि स्व0 सुवा पुत्र लालू के 1/3 हिस्सें की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है स्व0 सुवा पुत्र लालू के जीवनकाल से एवं उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके वारिसान वादीगण ही उक्त भूमि पर काबिज काश्त होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। वादीगण सं0 1लगा0 4 के पिता व वादी सं0 5 के पति

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लैक

Scanned by CamScanner

व वादी सं0 6 लगा0 9 के पिता स्व0 सुवा के पिता का नाम लालू था जो कि जमाबन्दी खेवट खतौनी संवत् 2021 से 2024 में सुवा पुत्र लालू सही अंकित किया हुआ है परन्तु इसके बाद जो जमाबन्दी राजस्व रिकोर्ड तैयार किया गया उसमें जमाबन्दी संवत् 2032 से 2035, 2036 से 2039 में राजस्व कर्मचारियों द्वारा तैयार की गयी उसमें सहवन से सुवा पुत्र लालू के पिता का नाम सुवा पुत्र प्रभू गलत अंकित कर दिया गया जबकि सुवा के पिता का सही नाम लालू ही था जिसके कारण उक्त गलत अंकन चला आ रहा है स्व0 सुवा पुत्र लालू एक अनपढ़ ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने से उसको अपने पिता का नाम गलत अंकित होने की जानकारी नहीं हो पायी थी जिसके कारण सुवा पुत्र लालू द्वारा अपने पिता के नाम की दुरूस्ती नहीं करवा पाया था। सुवा पुत्र लालू की मृत्यु हो जाने के पश्चात् जब वादीगण ने विरासत का नामान्तकरण खुलवाने के लिए पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने वादीगण को उक्त गलती होने के सम्बन्ध में बताया तब वादीगण उक्त गलती को दुरूस्त करवाने के लिए तहसीलदार कार्यालय में कार्यवाही करते रहे जिनको तहसीलदार कार्यालय से आश्वासन दिया जाता रहा परन्तु दिनांक 04.04.18 को तहसीलदार महोदय से अंतिम बार उक्त खातेदारी में दुरूस्ती की जाकर वादीगण के नाम उक्त भूमि राजस्व रिकोर्ड मे दर्ज करने का निवेदन किया गया जिस पर तहसीलदार महोदय द्वारा न्यायालय में जाकर चाराजोरी करने व आदेश लाने की कहने से वादीगण को अपने हक व अधिकारों की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत् घोषणा खातेदारी व दुरूस्ती का पेश करना आवश्यक हुआ है।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र शार्दुलपुरा में पेश हुयी। तहसीलदार फुलेरा ने रिपोर्ट पेश की जिसमें अंकित किया कि ग्राम कन्देवली का खं0नं0 108 रकबा 3 बीघा 16 में सुवा पुत्र प्रभुलाल हि0 1/3 जाति जाट जमाबन्दी चालू में दर्ज रिकोर्ड है परन्तु जमाबन्दी संवत् 2021–24 में सुवा पुत्र लालू जाति जाट दर्ज है। सुवा पुत्र प्रभुलाल हि0 1/3 के स्थान पर सुवा पुत्र लालू की शुद्धि किया जाकर उसके वारिसान के नाम रिकोर्ड मे अमल किया जाना उचित है जो शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादी व तह0 फुलेरा को सुना गया पत्रावली का अवलोकन मुताबिक रिपोर्ट व मजमेंआम में प्राप्त जानकारी के अनुसार वादी का लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादीगण का वाद बाबत् घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय का डिक्री किया जाता है कि आराजी खं0नं0 108

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

Scanned by CamScanner

एकबा 3 बीघा 16 वाके ग्राम कन्देचली तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में सुवा पुत्र प्रभू के स्थान पर सुवा पुत्र लालू दर्ज कर वादी को उक्त आराजीयात के 1/3 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वारिसान के नाम खाता खोलने हेतु तहसीलदार (फुलेरा) वारिसान की जांच कर नामान्तकरण की कार्यवाही करें।निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो। राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार फुलेरा को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प श्रीरामपुरा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभरलेक

उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

ज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक मुकाम सांभर लेक

जलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0

पेमाराम वगै0 बनाम तहसीलदार फुलेरा

दावा बाबत घोषणा खातेदारी एंव दुरूस्ती इन्द्राज

मुकदमा नंबर 188 / 18

ह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री मोहनलाल वर्मा व हाजरी .... मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद बाबत् घोषणा राजस्व लोक अदालत की भावना से इस आशय का डिक्री किया जाता है कि आराजी ख0नं0 108 रकबा 3 बीघा 16 वाकै ग्राम कन्देवली तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में सुवा पुत्र प्रभू के स्थान पर सुवा पुत्र लालू दर्ज कर वादी को उक्त आराजीयात के 1/3 हिस्सें का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वारिसान के नाम खाता खोलने हेतु तहसीलदार फुलेरा वारिसान की जांच कर नामान्तकरण की कार्यवाही करें।निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। ....

.....निज .... मुबलिग.. बाबत्..................................

... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.. फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.................................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

मुहर
ओहदा

दस्तखत..............
उपखण्ड अधिकारी
साँभर लेक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Scanned by CamScanner